


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 27, 1986/कार्तिका 5, 1908
No. 19] NEW DELHI, MONDAY, OCT. 27, 1986/KARTIKA 5, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन को रूप में
रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

भारत का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1986

अधिसूचना

सं. पर्स/आई आर/1115/1/82-6 :--भारत का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन
प्राधिकरण, अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का
43) की धारा 37 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार
के पूर्व अनुमोदन से, भारत का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (उपदान) विनियम,
1984 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन
प्राधिकरण (उपदान) संशोधन विनियम, 1986 है ।

(2) ये 31 मार्च, 1985 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. भारत का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (उपदान) विनियम, 1984 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) विनियम 2 में खण्ड (ख) में, “2500 रुपये प्रतिमाह” शर्कों और शब्दों के स्थान पर “चार हजार रुपये प्रतिमाह” शब्द रखे जायेंगे।

3. उक्त विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (2) के खण्ड (क) में, “36,000 रुपये” शर्कों और शब्द के स्थान पर “पचास हजार रुपये” शब्द रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण :

परन्तु यह कि भारत का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (उपदान) संशोधन विनियम, 1986 के ऊपर उल्लिखित संशोधन को भूतलक्षी प्रवर्तन करने के कारण किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रो. एन.के. सिंह, अध्यक्ष

INTERNATIONAL AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

New Delhi, the 22nd October, 1986

NOTIFICATION

No. PERS/IR/1115/1/82-Vol. VI :—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the International Airports Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the International Airports Authority of India (Gratuity) Regulations, 1984, namely:—

- 1 (1) These regulations may be called the International Airports Authority of India (Gratuity) Amendment Regulations, 1986.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 31st March, 1985.

2. In regulation 2 of the International Airports Authority of India (Gratuity) Regulations, 1984 (hereinafter referred to as the said regulation), in clause (f), for the words and figures “Rs. 2500 per month”, the words “rupees four thousand per month” shall be substituted.

3. In regulation 3 of the said regulations in sub-regulation (2) in clause (a), for the word and figure "Rs. 36,000", the word "rupees fifty thousand" shall be substituted.

Explanation :—Provided that no person shall be adversely affected by reason of giving of retrospective operation of the above mentioned amendment to the IAAI (Gratuity) Amendment Regulations, 1986.

Prof. N. K. SINGH, Chairman

